न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/306/2018

उनवान

1. रामदेव पिता हीरा मीणा निवासी बखेरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. सांवलराम पिता हीरा मीणा निवासी बखेरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
3. हरलाल पिता हीरा मीणा निवासी बखेरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
4. सोजीराम पिता हीरा मीणा निवासी बखेरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
5. खेमराज पिता हीरा मीणा निवासी बखेरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
6. कालू पिता हीरा मीणा निवासी बखेरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
7. चकोली पत्नि सांवलराम मीणा निवासी बखेरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. रामचन्द्र पिता कजोड मीणा निवासी बखेरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. बरदा पिता कजोड मीणा निवासी बखेरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
3. भूरा पिता हजारी मीणा निवासी बखेरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
4. भागुता पिता हजारी मीणा निवासी बखेरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. बदाम पत्नि मोहन मीणा निवासी बखेरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
6. महेन्द्र पिता मोहन मीणा निवासी बखेरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
7. बण्टी पिता मोहन मीणा निवासी बखेरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
8. बहादुर पिता हरिकिशन मीणा निवासी बखेरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
9. धर्मराज पिता हरिकिशन मीणा निवासी बखेरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
10. भीमराज पिता हरिकिशन मीणा निवासी बखेरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
11. उंकार पिता हजारी मीणा निवासी बखेरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
12. भागुती पत्नि छीतर मीणा निवासी बखेरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
13. महेश पिता छीतर मीणा निवासी बखेरा नाबालिग बबिलायत माता भागुती पत्नि छीतर मीणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के
प्रकरण संख्या 759/2017 निर्णय दिनांक 18.7.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री अम्बा लाल कुमावत, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री बी एल बापना ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं01,2,3,4,5,6,8,11
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 8.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण /प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाश्त की कृषि आराजियात ग्राम बखेरा पटवार हल्का में आराजी नम्बर 354 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थीया संख्या 8 के नाम पर खसरा संख्या 359, 360 एवं इससे लगती हुई अन्य आराजियात है। प्रार्थीगण को अपनी आराजियात में आने जाने एवं फसल को अवेरने के लिए ग्राम बखेरा पटवार हल्का बखेरा में स्थित आराजी नम्बर 356 की उत्तरी मेर से होकर रास्ते की आवश्यकता है । उक्त आराजियात विपक्षीगण की खातेदारी की आराजियात है। जिसमें से प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज अपने खेतों में आते जाते रहे हैं परन्तु राजस्व अभिलेख में दर्ज नही होने के कारण विपक्षीगण उक्त रास्ते को बन्द करने पर आमादा हैं। इसके लिए अप्रार्थी संख्या 1 आये दिन गाली गलौच करते हैं तथा फौजदारी मुकदमा करने पर आमादा होते हैं। अप्रार्थी रास्ते को बन्द करने के थूहर की बाड लगाना चाह रहे हैं। प्रार्थीगण के पास अपनी आराजियात पर आने–जाने के लिए कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बन्द कर दिया गया और खुलासा नही किया गया तो प्रार्थीगण अपनी आराजियात में आ जा नहीं सकेगें। उक्त रास्ता 10–12 फिट का चौडा है। अतः अप्रार्थीगण के खर्चे पर पुनः खुलासा कराया जाकर उसका तरमीम राजस्व नक्शे में किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते के उपयोग में ली जाने वाली भूमि का राजस्व दर से राशि जमा कराने को तैयार है।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र डी एल सी दर की दुगुनी राशि 19,720/– रू0 जमा कराने के उपरान्त नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश पारित किया किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 354 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा, व आराजी नम्बर 359 व 360 पर आने जाने एवं फसल काश्त करने , अवेरने के लिए आराजी संख्या 356 की उत्तरी मेड से होकर रास्ते की आवश्यकता होने से रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी संख्या 356 की दक्षिणी पूर्वी मेड से रास्ता कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है जबकि उक्त रास्ते पर पक्का निर्माण होकर रास्ता बन्द है एवं उक्त पारित निर्णय से प्रार्थीगण अपने सामलाती कुए पर आने–जाने से मेहरूम हो गये हैं एवं काफी लम्बा रास्ता एवं काफी ज्यादा आराजी खराब होने की पूर्ण संभावना है। जबकि अपीलाण्ट के कुए पर जाने आने के लिए आराजी नम्बर 356 की पश्चिमी उत्तरी मेड के सहारे–सहारे रास्ता कायम किये जाने से रेस्पोडेण्ट्स विपक्षी की आराजी का बहुत कम भू भाग उपयोग में आयेगा। ऐसी सुरत में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय को निरस्त किया जाकर पुनः नये सिरे से रास्ता कायम किया जाना आवश्यक है उक्त रास्ता अपीलाण्ट्स के लिए **सुविधाजनक** भी होगा ।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन हे कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट दिनांक 16.6.2018 का अवलोकन करने पर भी रास्ते का रकबा 3 बिस्वा ही बैठता है जबकि उसकी लम्बाई भी करीब 175 फिट है जो अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट के सुविधाजनक है एवं आराजी नम्बर 356 के दक्षिणी पूर्वी सीमा पर रास्ता कायम किये जाने पर रास्ते की लम्बाई 270 फिट होगी, जिसका रकाब 4 बिस्वा होगा । अतः अपीलाण्ट अपने आराजी में आने जाने के लिए मौका पर्चा रिपोर्ट में दर्शाया 175 फिट रास्ते को कायम करवाना चाहता है। अतः अपीलार्थीगण को अपनी आराजी में आने जाने के लिए 175 फिट रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने एवं उसी अनुसार डी एल सी दर से राशि जमा कराने का आदेश प्रदान करावे एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत तहसीलदार जहाजपुर की मौका रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं है, अपीलार्थी की मौजूदगी में तैयार नहीं की गई है। इस रिपोर्ट पर विश्वास कर अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी नम्बर 356 की दक्षिणी पूर्वी मेड पर रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया है जबकि उक्त रास्ते में पक्का निर्माण होकर रास्ता बन्द है एवं उक्त पारित निर्णय से प्रार्थीगण अपने सामलाती कुए पर जाने के लिए महरूम हो जायेंगे एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

काफी लम्बा रास्ता एवं काफी ज्यादा आराजी के खराब होने की संभावना है। अपीलार्थीगण कई वर्षों पूर्व से ही आराजी नम्बर 356 के उत्तरी पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे निकल रहे हैं लेकिन आपसी रंजिश व द्वेषता से उत्तरी पूर्वी मेड पर रास्ता कायम करवा दिया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेज का अवलोकन नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाया जाकर प्रत्यर्थीगण की आराजी नम्बर 356 की उत्तरी पश्चिमी मेड पर 175 फिट लम्बाई वाले रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने एवं उसी अनुसार डी एल सी राशि जमा कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

8. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में दिनांक 16.6.2018 को पर्चा मौका नियमानुसार भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया। उस समय अपीलार्थीगण भी उपस्थित थे। उक्त पर्चा मौका से उभयपक्ष सहमत था। उक्त पर्चा मौका अनुसार वर्तमान में ''प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 360 की मेड तक रास्ता चालू है। आराजी नम्बर 360 की मेड पर प्रार्थी का पत्थर का कोट लगा हुआ है तथा प्रार्थी के कोट से लगकर अप्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 356 में गोबर की रोडी डाल रखी है। रोडी तक रास्ता खुलासा होकर रिकार्ड में अंकन नहीं है। '' उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 360 तक आने जाने के लिए रास्ता मौजूद है एवं रास्ता चालू होना अंकित किया है। स्वयं प्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 360 में पत्थर की कोट बनाकर रास्ता बन्द किया हुआ है। जब प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी तक आने–जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपलब्ध हो ऐसी स्थिति में नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

9. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का यह भी निवेदन है कि मौका पर्चा दिनांक 16.6.2018 तैयार किया गया उस मौका रिपोर्ट में नजरी नक्शा भी बनाया गया है। उसमें लाल डोटेड लाईन से एक अन्य प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ते दिये जाने की स्थिति में रास्ते का रकबा 03 बिस्वा भूमि बनना अंकित किया गया है। परन्तु चूंकि जब पूर्व में ही मौके पर आराजी नम्बर 356 की दक्षिणी पूर्वी मेड पर रास्ता उपलब्ध है एवं मौके पर चालू होने की स्थिति में अन्य रास्ता दिया जाना संभव ही नहीं था। उक्त प्रस्तावित रास्ता दिये जाने की स्थिति में अपीलार्थी की आराजी नम्बर 356 दो भागों में विभक्त हो जायेगी। अधिनस्थ न्यायालय ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

10. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण अपनी आराजी नम्बर 354 तक आने–जाने के लिए प्रत्यर्थीगण की आराजी नम्बर 356 की उत्तरी पश्चिमी मेड पर रास्ता चाहते हैं। प्रत्यर्थीगण की आराजी नम्बर 356 से सटी हुई आराजी नम्बर 343 भी प्रत्यर्थीगण की ही खातेदारी की आराजियात है। यदि आराजी नम्बर 356 की उत्तरी पश्चिमी मेड पर रास्ता दिये जाने की स्थिति में भी प्रत्यर्थीगण की सटमा भूमि दो भागों में विभक्त हो जायेगी । इस बिन्दु को अधिनस्थ न्यायालय ने ध्यान में रखते हुए एवं वैकल्पिक रास्ता पूर्व में होने की वजह से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत है। अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण सुविधाजनक रास्ता अपनी आराजियात में पहूॅचने के लिए

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

चाहते हैं। जबकि धारा 251 ए के तहत सुविधाजनक रास्ता नहीं दिया जाकर आत्यंतिक आवश्यकता होने एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही रास्ता दिये जाने एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जा सकता है। अपीलाधीन प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता पूर्व में ही उपलब्ध होकर चालू होने से अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 से के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज ग्राम बखेरा पटवार हल्का बरोदा तहसील जहाजपुर की आराजी नम्बर 354 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा एवं प्रार्थी संख्या 7 की आराजी संख्या 359 एवं 360 पर आने जाने के लिए प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण की आराजी संख्या 356 की उत्तरी मेड से होकर 10–12 फिट चौडा रास्ता जिसे विपक्षीगण द्वारा अवरूद्ध किये जाने से रास्ता खुलवाये जाने एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं तहसीलदार से समरी इन्क्वायरी के तहत मौका पर्चा तलब किया गया । जिस पर पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट दिनांक 16.12.2017 को तैयार कर प्रस्तुत की गई। जिस पर विपक्षीगण द्वारा आपत्ति किये जाने पर पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर दिनांक 16.6.2018 को गिरदावर एवं पटवारी हल्का की उपस्थिति में उपस्थित उभयपक्षकारान के समक्ष मौका पर्चा तैयार किया गया । जिस पर स्वयं प्रार्थीगण के हस्ताक्षर है। उक्त मौका पर्चा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अनुसार '' मौके पर आराजी नम्बर 356 रकबा 5 बीघा 05 बिस्वा के खातेदारान द्वारा बताया गया कि आराजी नम्बर 356 की दक्षिणी पूर्वी मेड के पास से होकर प्रार्थीगण व हम सभी निकलते थे। वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी की आराजी नम्बर 360 की मेड तक रास्ता चालू है। आराजी नम्बर 360 की मेड पर प्रार्थी का पत्थर का कोट लगा हुआ है तथा प्रार्थी के कोट से लगकर अप्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 356 में गोबर की रोडी डाल रखी है। रोडी तक रास्ता खुलासा होकर रिकार्ड में अंकन नहीं है। '''' इस रिपोर्ट में आगे अंकन किया गया है कि '' मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण द्वारा बताया गया कि कई वर्षो से हम आराजी नम्बर 356 में रामसिंह आत्मज बरदा मीणा के मकान व सोहन पिता रामचन्द्र मीणा , जगदीश देवीलाल वगैरह पिता रामचन्द्र मीणा के बाडे के मध्य से होकर खेतो पर आते–जाते थे । गत एक वर्ष से इस रास्ते को बंद करना बताया गया । मौके पर यह रास्ता 2 गट्टा चौडा होकर आराजी नम्बर 354 की मेड पर बंद है। '' उक्त रिपोर्ट के साथ ही नजरी नक्शे में आराजी नम्बर 356 के दक्षिणी पूर्वी रास्ते को दर्शाया गया है एवं आराजी नम्बर 356 के मध्य प्रस्तावित रास्ता भी दर्शाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी नम्बर 356 की दक्षिणी पूर्वी मेड पर 12 फिट रास्ता राजस्व रेकार्ड में तरमीम किये जाने एवं रास्ते में प्रयुक्त होने वाले रकबा 4 बिस्वा का डी एल सी दर की दुगुनी राशि 19,720/–रूपये जमा कराये जाने के पश्चात रास्ता तरमीम किये जाने का आदेश पारित किया है।

12. अपीलाधीन प्रकरण में आराजी नम्बर 356 के दक्षिणी पूर्वी मेड पर रास्ता चालू होकर आराजी नम्बर 360 के वहॉ प्रार्थी द्वारा पत्थर का कोट लगाया जाना एवं आराजी नम्बर 356 एवं आराजी नम्बर 360 के वहॉ कोट के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पास गोबर की रोडी पडी होना नक्शा मौका में दर्शाया गया है एवं रास्ता चालू होने का तथ्य अंकित किया है। चूंकि उक्त रास्ता वक्त पर्चा मौका चालू होना अंकित किया है। प्रत्यर्थी/विपक्षीगण को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी एवं स्वयं प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं होने के कारण पर्चा मौका पर उभयपक्ष के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

13. अपीलार्थीगण ने पर्चा मौका बनाते समय कथन किया कि वे आराजी नम्बर 356 में रामसिंह आत्मज बरदा मीणा के मकान व सोहन पिता रामचन्द्र मीणा , जगदीश देवीलाल वगैरह पिता रामचन्द्र मीणा के बाडे के मध्य से होकर खेतो पर आते–जाते थे इसलिए वहॉ पर रास्ता दिया जावे। जबकि अपील कर अपील मेमों में अंकित किया है कि उन्हें अपनी आराजी नम्बर 354 पर पहूॅचने के लिए एवं उस पर आता चाह नम्बर 355 जो कि खातेदारान का शामलाती कुआ है उस पर आने जाने के लिए प्रत्यर्थीगण की आराजी नम्बर 356 के उत्तरी पूर्वी मेड पर रास्ता दिया जावे। अपीलाधीन आदेश द्वारा दिया गया रास्ता लम्बा होकर उसमें रास्ते के लिए 4 बिस्वा भूमि उपयोग में आयेगी जबकि आराजी नम्बर 356 के उत्तरी पश्चिमी ओर रास्ता दिये जाने पर 3 बिस्वा भूमि ही प्रयुक्त होगी एंव उनके लिए सुविधाजनक होगा । अपीलाधीन प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समरी इन्क्वायरी के तहत मौका पर्चा तलब किया गया है। उक्त पर्चा मौका में आराजी नम्बर 356 के दक्षिणी पूर्वी मेड पर रास्ता चालू होने का अंकन किया गया है एवं आराजी नम्बर 360 की मेड पर पत्थर की कोट स्वयं प्रार्थीगण द्वारा लगाया जाना जाहिर हुआ है।

14. अपीलार्थीगण द्वारा सुविधाजनक रास्ता एवं नजदीक रास्ता दिये जाने का निवेदन किया है । जो दिया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जाना विधिसम्मत नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाकर वर्तमान में चालू रास्ते को जिसे पत्थर की कोट एवं गोबर की रोडी द्वारा अवरूद्ध किया गया है उसे राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जोन की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। उक्त पर्चा मौका में एक अन्य प्रस्तावित रास्ता भी दर्शाया गया है जो कि आराजी नम्बर 356 में रामसिंह आत्मज बरदा मीणा के मकान व सोहन पिता रामचन्द्र मीणा , जगदीश देवीलाल वगैरह पिता रामचन्द्र मीणा के बाडे के मध्य से होकर खेतो पर जाता है परन्तु उक्त रास्ता दिये जाने से प्रत्यर्थीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 356 दो भागों में विभक्त हो जायेगी। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध हो रहा है। जिसका वे उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। अपीलार्थीगण का कथन है कि उन्हें आराजी नम्बर 356 के उत्तरी पश्चिमी तरफ रास्ता दिया जावे जिससे रकबा 3 बिस्वा ही रास्ते के लिये प्रयोग में आयेगा एवं अपनी आराजी पर आने जाने के लिए नजदीक रहेगा। चूंकि आराजी नम्बर 356 के उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 343 स्थित है वह भी प्रत्यर्थीगण की है ऐसी स्थिति में यहॉ पर रास्ता दिये जाने से प्रत्यर्थीगण की आराजियात दो टुकडों में विभक्त हो जायेगी।

15. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पर्चा मौका, नजरी नक्शा एवं नक्शा मौका का अवलोकन किया गया । अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने अपनी आराजी नम्बर 354 एवं 359 व 360 पर आने जाने के लिए रास्ता आराजी नम्बर 356 में चाहा है। आराजी नम्बर 354 अपीलार्थी संख्या 1 से 6 की आराजियात है एवं आराजी नम्बर 359 व 360 अपीलार्थी संख्या 7 की आराजियात है। उक्त प्रार्थना पत्र संयुक्त रूप से प्रार्थीगण ने प्रस्तुत किया है। वे आराजी नम्बर 356 में से होकर आराजी नम्बर 354 एवं 359 तथा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

360 पर आना जाना चाहते है। नक्शा मौका के अवलोकन से आराजी नम्बर 360, 359 एवं 354 के मध्य आराजी नम्बर 357 भी है। इस आराजी के खातेदारान को प्रार्थीगण द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाया गया है एवं न ही इस बाबत अपील न्यायालय में ही कोई कथन किया गया है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी नम्बर 360 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 356 की आराजी के दक्षिणी पूर्वी मेड पर रास्ता दिया गया है। परन्तु अपीलार्थीगण अपनी आराजी नम्बर 354 से 360 तक कैसे पहॅूचेंगे यह तथ्य नहीं बताया है। चूंकि रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ता नहीं होने की स्थिति में दिये जाने का प्रावधान है जबकि आराजी नम्बर 357 में पक्षकारान रास्ता दर्ज नही होने से कैसे आ जा सकेंगे यह नहीं बताया है । पर्चा मौका में डोटेड रास्ता दर्शाया गया है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। पत्रावली से स्पष्ट होता है कि आराजी नम्बर 354 व आराजी नम्बर 360, 359 के मध्य अन्य आराजी सख्या 357 भी स्थित है। ऐसे में राजस्व रिकार्ड में अत्यान्तिक आवश्यकता के आधार पर रास्ता अंकित किये जाने के क्रम में यह देखा जाना आवश्यक कि रास्ते की भूमि का नक्शे में स्पष्ट अंकन सुनिश्चित हो सके। प्राप्त समरी इन्क्वायरी रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं होता है कि खसरा नम्बर 354 तक पहॅचने के लिए राजस्व नक्शे में क्या इन्द्राज किया जाना है। खसरा नम्बर 354 में पहॅूचने हेतु अपीलाण्ट संख्या 1 से 6 द्वारा प्रार्थना पत्र तो प्रस्तुत किया गया है परन्तु खसरा नम्बर 354 में पहॅूचने हेतु अपीलाधीन निर्णय में निष्कर्षण का अभाव है। ऐसे निर्णय को परिपूर्ण निर्णय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। यदि आराजी नम्बर 354 व 359, 360 के मध्य भी रास्ता निर्णित किये जाने से निर्णय पूर्ण होता हो तो प्रार्थीगण को अपनी आराजी तक आने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जाने के लिए रास्ते की भूमि के समस्त आवश्यक खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया जाना चाहिये था एवं रास्ते के रूप में आने वाली समस्त भूमि को दर्शाया जाना चाहिये था , चाहे वो भूमि अपीलाण्ट/प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी की भूमि में से दी जानी हो। चूंकि उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना है अतः रास्ता की भूमि का स्पष्ट अंकन आवश्यक है। अपीलाधीन प्रकरण में आराजी नम्बर 357 के खातेदारान को न तो पक्षकार बनाया गया है एवं न ही आराजी नम्बर 357 के प्रार्थीगण की आराजी होना प्रमाणित होता है। चूंकि अपीलार्थीगण द्वारा इस आराजी नम्बर 357 की कोई जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं कि प्रकरण में आराजी नम्बर 354, व आराजी नम्बर 359 व 360 के खातेदारान द्वारा चाहे गये अनुतोष के क्रम में आत्यंतिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अध्याधीन स्पष्ट समरी इन्क्वायरी की जाकर विस्तृत आदेश पारित करें।

16. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.7.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण में आराजी नम्बर 354 , 359 व 360 के खातेदारान द्वारा चाहे गये अनुतोष के क्रम में आत्यंतिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समरी इन्क्वायरी की जाकर एक माह में विस्तृत निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 5/9/19 को उपस्थित रहे।

17. निर्णय आज दिनांक 8.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा